



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 09.03.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 139/25 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित हत्यारोपी अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

08.03.2025 समय

09.31 बजे

पीआरवी 4623 को

सूचना प्राप्त हुई कि

थाना बडौत क्षेत्र के

ग्राम बिजरौल में



एक लड़की की हत्या कर दी गयी है । सूचना पर तत्काल उ0नि0 श्री रामकुमार मय म0उ0नि0 गायत्री राजपूत मौके पर पहुंचे । जांच करने पर पता चला कि अभियुक्ता द्वारा अपनी पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी है । उक्त के सम्बन्ध में थाना बडौत पर वादी उ0नि0 श्री रामकुमार सिंह की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 139/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 139/25 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित हत्यारोपी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

एक अभियुक्ता ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चहल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-म0उ0नि0 गायत्री राजपूत थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 311 आदेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-म0का0 768 अन्जू लांबा थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 09.03.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 138/25 धारा 191(2)/115(2)/109/
117(2)/324(4) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक

08.03.2025 को
थाना बडौत पर वादी
श्री गौरव राठी पुत्र
श्री ब्रह्मपाल सिंह
राठी निवासी ग्राम
गांगनौली थाना



दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. अंकुर, 2.अंशुल पुत्रगण राजवीर, 3.राजवीर पुत्र खिलारी, 4. अंकुर पुत्र मनोज, 5.मनोज पुत्र रामफल निवासीगण ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत, 6.मनीष पुत्र अहलावत पुत्र नामालूम निवासी वलीदपुर जनपद मेरठ व अन्य अज्ञात द्वारा उसके ताऊ

श्री ओमपाल सिंह पुत्र चौल सिंह निवासी आदर्श नगर निकट बिनौली रेलवे फाटक कस्बा बडौत थाना बडौत जनपद बागपत के साथ एक राय होकर जान से मारने की नीयत से हमला कर मारपीट की गयी जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गये तथा उनकी गाडी वेंगनार को क्षतिग्रस्त कर दिया । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 138/25 धारा 191(2)/115(2)/109/117(2)/324(4) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 138/25 धारा 191(2)/115(2)/109/117(2)/324(4) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:

- 1-अंकुर पुत्र राजवीर निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-मनीष अहलावत पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम वलीदपुर थाना धरौला जनपद मेरठ हाल निवासी शिवधाम कॉलौनी थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रामकुमार सिंह थाना बडौत ।
- 2-है0का0 19 अमित कुमार थाना बडौत ।
- 3-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत ।
- 4-है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत ।
- 6-का0 948 पंकज कुमार थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 09.03.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर

मु0अ0सं0 81/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आसिफ पुत्र मुस्तकीम निवासी बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री प्रियवृत्त आर्य थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 पुलकित सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-का0 579 कौशल शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 09.03.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 03 अवैध शराब तस्करो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 36 बोतल अवैध अग्रेजी शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक कार ग्रैन्ड आई-10 नं0 DL-7CQ-0419 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अवैध शराब तस्करो को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 36 बोतल अवैध अग्रेजी शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक कार ग्रैन्ड आई-10 नं0 DL-7CQ-0419 बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अंश पुत्र मुनेश कुमार निवसी ग्राम बडौदा थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ।
- 2-प्रांजुल पुत्र गरीबदास निवसी बडौदा थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ।
- 3-अंश पुत्र श्रीकान्त निवसी नगला रवा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 36 बोतल अवैध अग्रेंजी शराब हरियाणा मार्का ।
- तस्करी में प्रयुक्त एक कार ग्रेंन्ड आई-10 नं0 DL7CQ 0419

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 653 उमेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 494 राहुल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-हो0गा0 778 अंकित कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

